

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग—१

रांचो—४८५ / ix / 2011

देहरादून (विनांक) / अद्यत्तम, 2011

अधिकारीकरण संख्या ४८५/ix/२३५/ ix / 2011 दिनांक ।।, अक्टूबर, 2011 को प्रख्यापित

” उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्बलना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 की प्रति निम्नलिखित को रूपयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- २— महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- ३— समस्त प्रभुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ४— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
- ५— निजी सचिव, नाम परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड को मात्र परिवहन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- ६— मण्डलानुवर्त, कुमार्यु/गढ़वाल।
- ७— पारिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- ८— समरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ९— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
- १०— समरत कोषधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ११— सामर्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- १२— समरत संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- १३— निदेशक, एनआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- १४— निदेशक, गुरुग्राम एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिहार) को नियमावली की हिन्दी प्रतिपोलों सेलान लेते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि बृूपया नियमावली को असाधारण गजट लियायी परिशोल भाग—४ खण्ड—का में गुरित करातर इसकी १०० प्रतियां परिवहन अनुमति—१ द्वारा उपलब्ध कराने का कहा करें।

19. 10. 11
उत्तराखण्ड
परिवहन अधिकारी

आज्ञा से
(प्रियोद प्रभुख रत्नजी)
अप्र सचिव।

25 अप्रैल २०११
उत्तराखण्ड प्रभुख

(आज्ञा से
परिवहन अधिकारी)

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन विभाग

संख्या—५८८/८४/२३५ / २०११

देहरादून, दिनांक १५ अक्टूबर, २०११

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मोटरयान कराचान सुधार आधिनियम, 2003 की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अधितार संशोधन कारने की दृष्टि से सञ्चयाल निज्ञतिवित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम 1 उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011
एवं प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

रामानुज

2 "उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008"

जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, के

नियम 4 का 3 उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 (जिसे संशोधन वर्तमान नियम 4 के उपनियम (1) एवं (2) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

मूल नियमावली का विवरण नियम	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1 सहत की हकदारी— (1) किसी सार्वजनिक सेवायान, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त कर या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अधिभार का भुगतान किया जा चुका है, के दुर्घटना में अन्तर्गत होने से पीड़ित यात्री या अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या एवं अन्य व्यक्ति के हकदार होने।	2 सहत की हकदारी— (1) किसी सार्वजनिक सेवायान (जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1983 में परिभाषित है) के दुर्घटना में अन्तर्गत होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के हकदार होने।
(2) प्रत्येक दुर्घटना के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन जाहत की	(2) प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में उप नियम (1) के अधीन

नियम 8 का 4
संशोधन

मूल नियमावली में नीचे रक्षण-1 में दिये गए वर्तमान नियम 8 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के स्थान पर रक्षण-2 में दिया गया नियम 8 दिया जाएगा, अर्थात् :-

मात्रा ऐसी होगी, जैसी नियमावली के नियम 30 के उपनियम (2) के प्रयोजनार्थ प्रतिस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।	राहत की मात्रा ऐसी होगी जैसी इस नियमावली के अन्त में दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
---	---

विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
कार्यालय निधि का वित्त पोषण— (1) कार्यकारिणी के प्रबंधन एवं नियन्त्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा, जो नियमावली के नियम 31 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शासित होगा। (2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, नियमित निकायों एवं केन्द्र तथा साज्य सरकारों से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा उपधारा (3) के अधीन उद्युक्त अधिभार उद्युक्त अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्युक्त अतिरिक्त कर के इकठ्ठेस्वेद भाग के समतुल्य झापट, कराधान द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सङ्गठन धनराशि का बैंक झापट, कराधान निधि की उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे उद्युक्त परिवहन उद्धर्टना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे उद्धर्टना राहत निधि के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस नियमित भारतीय रटेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गये बचत बैंक द्वारा खाते में जमा किया जायेगा, परन्तु यह और किं यदि नियमी राज्यपाल/उपराज्यपाल अध्यक्ष चैकपोर्ट पर भारतीय रटेट बैंक की सीधीएस शाखा उपलब्ध है, तो	निधि का वित्त पोषण, प्रशासन एवं उपयोग की रीति— (1) कार्यकारिणी के प्रबंधन एवं नियन्त्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार शासित होगा। (2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, नियमित निकायों एवं केन्द्र तथा साज्य सरकारों से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा उपधारा (3) के अधीन उद्युक्त अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्युक्त अतिरिक्त कर के इकठ्ठेस्वेद भाग के समतुल्य धनराशि का बैंक झापट, कराधान अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सङ्गठक परिवहन उद्धर्टना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे उद्युक्त परिवहन उद्धर्टना राहत निधि के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस नियमित भारतीय रटेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गये बचत बैंक द्वारा खाते में जमा किया जायेगा, परन्तु यह और किं यदि नियमी राज्यपाल/उपराज्यपाल अध्यक्ष चैकपोर्ट पर भारतीय रटेट बैंक की सीधीएस शाखा उपलब्ध है, तो

		उपर्युक्त दोनों कार्यक्रमों दैनिक लापता के स्थान पर उपरोक्त धनराशि सीधे खाते में जमा करवयोग और उसकी सुचना मार्गिक / कामिक रूप से परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेगा।
(3)	अध्यक्ष उत्तराखण्ड राहत निधि द्वारा नियमावली के नियम 31 में निर्दित प्राविधानों के अनुरूप, संबंधित जिला मणिरद्वेष्ट की संस्थानियों प्राप्त होने पर ऐसी निधि से राहत की धनराशि रखीकृत कर ज्ञापट के द्वारा जिला मणिरद्वेष्ट को उपलब्ध कराइ जायेगी, जो उनके द्वारा राहत के हकदार व्यक्तियों में वितरित की जायेगी। तैक खाते में अर्जित व्याज, उक्त निधि का भाग मात्रा जायेगा। उक्तानुसार निधि के मूलधन व व्याज की धनराशि नियमावली के नियम 5 एवं 10 के अनुसार चर्चित कार्यों के लिए उपयोग की जायेगी।	(3) परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पन्द्रह दिवस के भीतर रूपये 25-25 लाख रुपये की धनराशि प्रत्येक उपर्युक्त के जिलाधिकारी के निर्वतन पर, इस निधि से सम्बन्धित राहत राशि वितरण के लिए, रखी जाएगी।
(4)	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में “उत्तराखण्ड सड़क परिवहन इर्द्दिना राहत निधि, (जनपद का नाम)” के नाम से बचत दैनिक खाता खोला जाएगा।	(5) जनपदों में खोले गये उक्त खाते का संचालन जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट, अपर जिलाधिकारी से अन्युन श्रेणी के अधिकारी एवं जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।
-	-	-

(6)	उस जिले का जिला मणिरट्टेट जिलाधिकारी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी की अधिकारी से जांच करायेगा जो उपखण्ड मणिरट्टेट से निज श्रेणी का न हो। उक्ता जांच ऐपोर्ट प्राप्त होने पर राहत के लिए हकदार व्यक्तियों को सुनिश्चित करते हुए उपनियम (4) के अन्तर्गत खोले गये खाते से तत्काल आर्थिक सहायता वितरित करेगा।	
(7)	जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के पश्चात आगे भाड़ की पाचवी तारीख तक पूर्ववर्ती भाड़ में जनपद में घटित सड़क दुर्घटनाओं, वितरित की गयी धनराशि, सम्बिधित वाहन दुर्घटना के विवरण, मणिरट्टेट जांच रिपोर्ट, वितरित धनराशि की प्राप्त रसीद राहित परिवहन आयुत को प्रेषित की जाएगी। प्रेषित सूचना के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त छनराशि की मांग का प्रस्ताव भी परिवहन आयुत/अध्याद्य, उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि को प्रेषित किया जाएगा।	
(8)	मांग प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त/अध्याद्य, उत्तराखण्ड सङ्कर परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा उत्तराधिकारी से ऐसी धनराशि रामबन्धा जिलाधिकारी और जांच आवंटित की जाएगी कि जिलाधिकारी के द्वारा खाते में चूनतम रूपये 25 लाख की धनराशि बनी रहे।	
(9)	वितरीय रूप के अन्त में	

जिलाविकारी द्वारा पूरे वित्तीय चर्ता
के आय-व्यय का लेखा जोखा तथा
खाते में अपशोष धनराशि का
विवरण अगले वित्तीय वर्ष की
पन्द्रह अग्रेल तक परिवहन
आयुरत / अध्यक्ष सङ्गठन द्वारा चाहत निधि
सङ्गठक परिवहन दुर्घटना चाहत निधि
नों प्रेति किसा जारगा

(10) उपनिधयम (2) एवं उपनिधयम
(4) के अन्तर्गत खोले गये वैकं
खातों में अर्जित व्याज, उपर्युक्ति
का भाग माना जायेगा। उपर्युक्तार
निधि के मूलधन व व्याज की
धनराशि नियमापनी के नियम 8, 9
एवं 10 के अनुसार वर्णित कार्यों के
लिए उपयोग की जायेगी।

पर रत्नम्-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अथोतः-	पूर्व नियमावली में नीचे रत्नम्-1 में दिये गए वर्तमान नियम 9 के स्थान नियम
1	एतत्हारा प्रतिश्वासा नियम
<p>लेखा सम्परीक्षा— कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों की लेखा—परीक्षा के लिए एक लेखा—परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जायेगा। लेखा—परीक्षक अपनी स्पेश्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुदान दिया जायेगा।</p>	<p>लेखा सम्परीक्षा— कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों, जिसमें जिलाधिकारियों के रत्न पर सखे गये लेखे भी समिलित होंगे, की लेखा—परीक्षा के लिए एक लेखा—परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जाएगा। लेखा—परीक्षक अपनी स्पेश्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन दिया जायेगा।</p>

नियम 13 6 मूल नियमावली के नियम 13 के उपरान्त निम्न नियम रख दिया जायेगा,
के पश्चात
अंथर्गत—
नियम 14
जोड़ा जाना

किसी अन्य नियमावली में इस विषय पर बनाए गए नियमों में किसी
नियम के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली में दी गयी व्यवस्था
प्रभावी होगी।

(नियम 4 के संपर्कमा (2) के अन्तर्गत)

अनुसूची

क्रमांक	तुर्धटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रुपये में)
1	1. इर्द्दटना में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000
2	2. तुर्धटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य लाकृति, ऐसी पूर्ण स्थाई निःशाक्तता जो नियोजित उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में वापर के। इसमें निम्नलिखित मामले भी सम्भवित हैं— (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनों जेन्डों की तुर्डि की पूर्ण हानि	50,000
3.	तुर्धटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा— (अ) उखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनों कानों के उन्नने की हानि (द) दाढ़ी कलाई या एक मुँहा की हानि (घ) यदि घायल व्यक्ति को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े।	20,000
4.	तुर्धटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (प्रमाणित 2 रुपये 3 से भिन्न गामतों ने)	5,000

आज्ञा दी,
(एस० समारद्धामी)
प्रमुख सचिव।